


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

रामजीलाल बनाम सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ व अन्य  
केस संख्या 30/2024 (मुत्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
04.03.2024	<p>अप्रार्थी संख्या 3 व उसके अधिवक्ता द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश कर करने पर पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3 व उसके अधिवक्ता ने कथन किया है कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी श्री चिमन लाल मीणा आर.ए.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। अतः मुत्तकिल प्रार्थना पत्र प्रभाव शून्य हो जाने से मुत्तकिल प्रार्थना पत्र को तारीख पेशी से आज ही तलब कर खारिज किया जावे।</p> <p>अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 153/2023 व टी आई प्रार्थना पत्र संख्या 113/2023 व उनवानी रामजीलाल बनाम चन्द्र प्रकाश व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री चिमन लाल मीणा आर.ए.एस. से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी श्री चिमन लाल मीणा आर.ए.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> (प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)</p>	